



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086 / 2656357 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2020 / भाग(9) / 113

दिनांक :: १४ नवम्बर, 2021

## बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 2 नवम्बर, 2021 को सांय 4.30 बजे श्री (डॉ.) राजेश शर्मा, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

**प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 13 सितम्बर 2021 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।**

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 13 सितम्बर 2021 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 13 सितम्बर 2021 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

### निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 13 सितम्बर, 2021 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 2 :: जोन उत्तर (N1, N2) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अनुमोदन करने बाबत।**

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोन उत्तर (N1, N2) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अनुमोदन करने बाबत।

गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य सिविल रिट पीटीशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु उत्तर जोन (N1, N2) के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने का कार्यादेश दिनांक 03.02.2021 को याशी कन्सलटेंट प्रा. लिमिटेड को जारी किया गया था। याशी कन्सलटेंट प्रा. लिमिटेड ने राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में चरण-5 (Preparation of Draft Zonal Plan) तक का कार्य प्रस्तुत किये जाने पर कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2021 के प्रस्ताव संख्या 26 एवं प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.09.2021 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा जोन उत्तर (N1, N2) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को आमजन से आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा राजस्थान राजपत्र में दिनांक 15.09.2021 को प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान अधिसूचित किया जाकर आमजन से आपत्ति/सुझाव हेतु दिनांक 16.09.2021 से 30.09.2021 तक समय दिया गया था। इसी दौरान प्राप्त सुझावों के क्रम में व्यापक जनहित में जोनल प्लान पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की अवधि को दो बार 5-5 दिवस हेतु दैनिक समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित कर बढ़ाई गई। इसी दौरान इसकी सूचना जिला परिषद्

एवं पंचायत समिति तक भी पहुंचाई गई ताकि व्यापक स्तर पर जोनल डवलपमेंट प्लान का अवलोकन कर सुझाव आमंत्रित किये जा सके। इस प्रकार दिनांक 16.09.2021 से 10.10.2021 तक आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये गये।

प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान जोन उत्तर (N1, N2) पर निर्धारित समयावधि में कुल 232 आपत्ति सुझाव प्राप्त हुए, जिसका निस्तारण प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। आपत्ति/सुझावों पर हुये निर्णयों को समायोजित करते हुए जोन (N1, N2) के जोनल डवलपमेंट प्लान को अंतिम रूप दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में चरण-8 (Finalization of objections/suggestions report and technical approval of the draft Zonal Development Plan) तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसके क्रम में चरण-9 (Approval of Zonal Development Plan by local authority/state government) के तहत प्रारूप को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2021 के प्रस्ताव संख्या 16 में लिये गये निर्णय अनुसार समिति की अनुशंषा के साथ प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाना है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत तैयार जोन उत्तर (N1, N2) जोनल डवलपमेंट प्लान प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। साथ ही अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमोदित जोनल डवलपमेंट प्लान का राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना है। जिसके क्रम में निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

#### निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की अभिशंषा के दृष्टिगत उपरोक्त प्रस्तावानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 23 के अन्तर्गत जोन उत्तर (N1, N2) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया एवं प्रारूप जोनल प्लान पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों के निस्तारण में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। मास्टर प्लान -2031 के सापेक्ष जोनल प्लान में किये गये डेवियेसनस/विचलनों के संबंध में मास्टर प्लान-2031 में भी संशोधन/परिवर्तन का अंकन करते हुए इनका समावेश सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 3 :: जोन दक्षिण (S2) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अनुमोदन करने बाबत्।**

प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोन दक्षिण (S2) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अनुमोदन करने बाबत्।

गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य सिविल रिट पीटीशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु दक्षिण जोन (S2) के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने का कार्यदेश दिनांक 4.09.2019 को वाफ्कोस प्रा. लिमिटेड को जारी किया गया था। वाफ्कोस प्रा. लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में चरण-5 (Preparation of Draft Zonal Plan) तक का कार्य प्रस्तुत किये जाने पर कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2021 के प्रस्ताव



संख्या 25 एवं प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.09.2021 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा जोन दक्षिण (S2) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को आमजन से आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा राजस्थान राजपत्र में दिनांक 15.09.2021 को प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान अधिसूचित किया गया। आमजन से आपत्ति/सुझाव हेतु दिनांक 16.09.2021 से 30.09.2021 तक समय दिया गया था। इसी दौरान प्राप्त सुझावों के क्रम में व्यापक जनहित में जोनल प्लान पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की अवधि को दो बार 5-5 दिवस हेतु दैनिक समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित कर बढ़ाई गई। इसी दौरान इसकी सूचना जिला परिषद् एवं पंचायत समिति तक भी पहुंचाई गई ताकि व्यापक स्तर पर जोनल डवलपमेंट प्लान का अवलोकन कर सुझाव आमंत्रित किये जा सकें। इस प्रकार दिनांक 16.09.2021 से 10.10.2021 तक आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये गये।

प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान दक्षिण जोन (S2) पर निर्धारित समयावधि में कुल 175 आपत्ति सुझाव प्राप्त हुए, जिसका निस्तारण प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। आपत्ति/सुझावों पर हुये निर्णयों को समायोजित करते हुए जोन (S2) के जोनल डवलपमेंट प्लान को अंतिम रूप दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में चरण-8 (Finalization of objections/suggestions report and technical approval of the draft Zonal Development Plan) तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है अतः चरण-9 (Approval of Zonal Development Plan by local authority/state government) तहत प्रारूप को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2021 के प्रस्ताव संख्या 17 में लिये गये निर्णय अनुसार समिति की अनुशंषा के साथ प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाना है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत तैयार जोन दक्षिण (S2) जोनल डवलपमेंट प्लान (प्रारूप) प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। साथ ही अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमोदित जोनल डवलपमेंट प्लान का राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना है। जिसके क्रम में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

#### निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की अभिशंषा के दृष्टिगत उपरोक्त प्रस्तावानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 23 के अन्तर्गत जोन दक्षिण S2 के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया एवं प्रारूप जोनल प्लान पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों के निस्तारण में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। मास्टर प्लान -2031 के सापेक्ष जोनल प्लान में किये गये डेवियेसनस/विचलनों के संबंध में मास्टर प्लान-2031 में भी संशोधन/परिवर्तन का अंकन करते हुए इनका समावेश सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 4 :: जोन पूर्व (E2) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अनुमोदन करने बाबत।**

प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोन पूर्व (E2) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अनुमोदन करने बाबत।



गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य सिविल रिट पीटीशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु पूर्व (E2) के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने का कार्यादेश दिनांक 10.11.2017 को वाफ्कोस प्रा. लिमिटेड को जारी किया गया था। वाफ्कोस प्रा. लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में चरण-5 (Preparation of Draft Zonal Plan) तक का कार्य प्रस्तुत किये जाने पर कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2021 के प्रस्ताव संख्या 27 एवं प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.09.2021 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा जोन पूर्व (E2) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को आमजन से आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा राजस्थान राजपत्र में दिनांक 15.09.2021 को प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान अधिसूचित किया गया। आमजन से आपत्ति/सुझाव हेतु दिनांक 16.09.2021 से 30.09.2021 तक समय दिया गया था। इसी दौरान प्राप्त सुझावों के क्रम में व्यापक जनहित में जोनल प्लान पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की अवधि को दो बार 5-5 दिवस हेतु दैनिक समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित कर बढ़ाई गई। इसी दौरान इसकी सूचना जिला परिषद् एवं पंचायत समिति तक भी पहुंचाई गई ताकि व्यापक स्तर पर जोनल डवलपमेंट प्लान का अवलोकन कर सुझाव आमंत्रित किये जा सकें। इस प्रकार दिनांक 16.09.2021 से 10.10.2021 तक आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये गये।

प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान पूर्व जोन (E2) पर निर्धारित समयावधि में कुल 51 आपत्ति सुझाव प्राप्त हुए, जिसका निस्तारण प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। आपत्ति/सुझावों पर हुये निर्णयों को समायोजित करते हुए जोन (E2) के जोनल डवलपमेंट प्लान को अंतिम रूप दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में चरण-8 (Finalization of objections/suggestions report and technical approval of the draft Zonal Development Plan) तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है अतः चरण-9 (Approval of Zonal Development Plan by local authority/state government) के तहत प्रारूप को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2021 के प्रस्ताव संख्या 18 में लिये गये निर्णय अनुसार समिति की अनुशंसा के साथ प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाना है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत तैयार जोन पूर्व (E2) जोनल डवलपमेंट प्लान प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। साथ ही अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमोदित जोनल डवलपमेंट प्लान का राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना है। जिसके क्रम में निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

#### निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की अभिशंसा के दृष्टिगत उपरोक्त प्रस्तावानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 23 के अन्तर्गत जोन पूर्व E.2 के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया एवं प्रारूप जोनल प्लान पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों के निस्तारण में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। मास्टर प्लान -2031 के सापेक्ष जोनल प्लान में किये गये डेवियेसनस/विचलनों के संबंध में मास्टर प्लान-2031 में भी संशोधन/परिवर्तन का अंकन करते हुए इनका समावेश सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: जोन पूर्व, पश्चिम व दक्षिण (E1, W1, S1) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अनुमोदन करने बाबत।



प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोन पूर्व, पश्चिम व दक्षिण (E1, W1, S1) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अनुमोदन करने बाबत।

गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य सिविल रिट पीटीशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु पूर्व जोन, पश्चिम जोन व दक्षिण जोन (E1,W1,S1) के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने का कार्य प्राधिकरण स्तर पर किया जा रहा है। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2021 के प्रस्ताव संख्या 28 एवं प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.09.2021 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा पूर्व जोन, पश्चिम जोन व दक्षिण जोन (E1,W1,S1) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को आमजन से आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा राजस्थान राजपत्र में दिनांक 15.09.2021 को प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान अधिसूचित किया गया। आमजन से आपत्ति/सुझाव हेतु दिनांक 16.09.2021 से 30.09.2021 तक समय दिया गया था। इसी दौरान प्राप्त सुझावों के क्रम में व्यापक जनहित में जोनल प्लान पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने की अवधि को दो बार 5-5 दिवस हेतु दैनिक समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित कर बढ़ाई गई। इसी दौरान इसकी सूचना जिला परिषद् एवं पंचायत समिति तक भी पहुंचाई गई ताकि व्यापक स्तर पर जोनल डवलपमेंट प्लान का अवलोकन कर सुझाव आमंत्रित किये जा सकें। इस प्रकार दिनांक 16.09.2021 से 10.10.2021 तक आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये गये।

प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान पूर्व जोन, पश्चिम जोन व दक्षिण जोन (E1,W1,S1) पर निर्धारित समयावधि में कुल 130 आपत्ति सुझाव प्राप्त हुए, जिसका निस्तारण प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर किया जाना प्रस्तावित हैं। आपत्ति/सुझावों पर हुये निर्णयों को समायोजित करते हुए जोन (E1,W1,S1) के जोनल डवलपमेंट प्लान को अंतिम रूप दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में चरण-8 (Finalization of objections/suggestions report and technical approval of the draft Zonal Development Plan) तक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसके क्रम में चरण-9 (Approval of Zonal Development Plan by local authority/state government) के तहत प्रारूप को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2021 के प्रस्ताव संख्या 19 में लिये गये निर्णय अनुसार समिति की अनुशंषा के साथ प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाना है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत तैयार जोन पूर्व जोन पश्चिम व जोन दक्षिण (E1,W1,S1) जोनल डवलपमेंट प्लान प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। साथ ही अधिनियम की धारा 24 के तहत अनुमोदित जोनल डवलपमेंट प्लान का राजपत्र में प्रकाशन कराया जाना है। जिसके क्रम में निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की अभिशंषा के दृष्टिगत उपरोक्त प्रस्तावानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 23 के अन्तर्गत जोन पूर्व जोन पश्चिम व जोन दक्षिण (E1,W1,S1) के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अन्तिम रूप दिया जाकर अधिसूचित करने



का निर्णय लिया गया एवं प्रारूप जोनल प्लान पर प्राप्त आपत्ति/सुझावों के निस्तारण में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। मास्टर प्लान -2031 के सापेक्ष जोनल प्लान में किये गये डेवियेसनस/विचलनों के संबंध में मास्टर प्लान-2031 में भी संशोधन/परिवर्तन का अंकन करते हुए इनका समावेश सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 6 :: नगर निगम उत्तर क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव हेतु जारी करने बाबत।**

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	नगर निगम उत्तर क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव हेतु जारी करने बाबत।

गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य सिविल रिट पीटीशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु नगर निगम उत्तर के जोनल प्लान बनाये जाने का कार्यादेश दिनांक 23.07.2021 को मैसर्स एको वेन्चर्स प्रा. लिमिटेड को जारी किया गया था। इस क्रम में मैसर्स एको वेन्चर्स प्रा. लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में चरण-5 (Preparation of Draft Zonal Plan) तक का कार्य नगर निगम उत्तर में प्रस्तुत किया गया है। नगर निगम उत्तर द्वारा दिनांक 22.10.2021 को जोनल डवलपमेंट प्लान मय 09 मानचित्रों के प्राधिकरण की स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दृष्टिगत एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जोनल डवलपमेंट प्लान लागू किया जाना अति आवश्यक है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत उक्त जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है जो कि कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2021 के प्रस्ताव संख्या 21 में समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ एवं समुचित निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत तैयार नगर निगम उत्तर के जोनल डवलपमेंट प्लान प्राधिकरण के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में निदेशक-आयोजना ने अवगत कराया नगर निगम-उत्तर जोनल डवलपमेंट प्लान को तैयार करने एवं सडकों के मार्गाधिकार निर्धारण बाबत निगम कार्यालय में दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को श्रीमान् शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, महापौर महोदया नगर निगम-उत्तर, मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, आयुक्त नगर निगम-उत्तर, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर, निदेशक-आयोजना जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम-उत्तर, वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन जोधपुर, वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम-उत्तर, उप नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की

उपस्थिति में विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिये गये हैं। उन निर्णयों के आधार पर निदेशक-आयोजना द्वारा विस्तृत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया है। जो परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम-उत्तर द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित जोनल डवलपमेन्ट प्लान को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक में भी परीक्षण, अभिशंषा/अनुमोदन के उपरान्त ही प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 7 :: नगर निगम दक्षिण क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव हेतु जारी करने बाबत।**

प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	नगर निगम दक्षिण क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव हेतु जारी करने बाबत।

गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य सिविल रिट पीटीशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु नगर निगम दक्षिण के जोनल प्लान बनाये जाने का कार्यादेश दिनांक 23.07.2021 को मैसर्स याशी कन्सलटिंग सर्विसेज लिमिटेड को जारी किया गया था। इस क्रम में मैसर्स याशी कन्सलटिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में चरण-5 (Preparation of Draft Zonal Plan) तक का कार्य नगर निगम दक्षिण में प्रस्तुत किया गया है। नगर निगम दक्षिण द्वारा दिनांक 22.10.2021 को जोनल डवलपमेंट प्लान मय 09 मानचित्रों के प्राधिकरण की स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दृष्टिगत एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जोनल डवलपमेंट प्लान लागू किया जाना अति आवश्यक है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत उक्त जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है जो कि कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2021 के प्रस्ताव संख्या 22 में समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ एवं समुचित निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत तैयार नगर निगम दक्षिण के जोनल डवलपमेंट प्लान प्राधिकरण के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में निदेशक-आयोजना ने अवगत कराया नगर निगम-दक्षिण जोनल डवलपमेन्ट प्लान को तैयार करने एवं सडकों के मार्गाधिकार निर्धारण बाबत निगम कार्यालय में दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 को मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, आयुक्त नगर निगम-दक्षिण, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर, निदेशक-आयोजना जोधपुर

विकास प्राधिकरण जोधपुर, वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन जोधपुर, उप नगर नियोजक नगर निगम-दक्षिण, अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम-दक्षिण, उप नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की उपस्थिति में विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिये गये हैं। उन निर्णयों के आधार पर निदेशक-आयोजना द्वारा विस्तृत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया है। जो परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम-दक्षिण द्वारा प्रस्तावित एवं अनुमोदित जोनल डवलपमेन्ट प्लान को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक में भी परीक्षण, अभिशंषा/अनुमोदन के उपरान्त ही प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

**प्रस्ताव संख्या 8 :: "मण्डोर उद्यान का स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव।**

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/101358)	मण्डोर उद्यान का स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव।

माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा दिनांक 28.11.2020 द्वारा जोधपुर भ्रमण के उपरान्त दिनांक 29.11.2020 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश एवं भ्रमण के पश्चात् जारी कार्यवाही विवरण के बिन्दु सं 12 पर दिये गये निर्देशानुसार मण्डोर उद्यान का स्वामित्व एवं कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग से जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाये। इसी सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.जी. 2(2)अनु IV/पार्ट III/डी- दिनांक 12.08.2013 जारी किया हुआ है, जिसमें मण्डोर उद्यान को सार्वजनिक निर्माण विभाग से नगरीय विकास विभाग को मय मालिकाना हक स्थायी रूप से हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

प्राधिकरण द्वारा मण्डोर उद्यान का स्वामित्व व कब्जा लेने पर उद्यान का रखरखाव एवं सुरक्षा का दायित्व, पानी के बिल, बिजली के बिल, साफ-सफाई हेतु कर्मियों के बिल इत्यादि पर होने वाले व्यय को प्राधिकरण को वहन किया जाना है। जिसके क्रम में प्राधिकरण बैठक दिनांक 17.02.2021 को बैठक में बाद विचार-विमर्श सर्वसम्मति से सार्वजनिक निर्माण विभाग से उपरोक्तानुसार व्यय की सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण स्तर पर आय-व्यय व अन्य दायित्वों/विधिक प्रकरणों का विश्लेषण करते हुए प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

जिसके क्रम में सार्वजनिक विभाग द्वारा आय-व्यय, प्रगतिरत कार्य एवं विभिन्न प्रकरणों की सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, तथा प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रमांक EE/N/640 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा नगरीय विकास विभाग से मंडोर उद्यान के हस्तांतरण की अनुमति हेतु प्रेषित किया गया है

अतः मण्डोर उद्यान का स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आगामी प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें

## निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से मण्डोर उद्यान को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव का राज्य सरकार की अनुमति के अनुसार अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.01 (61) नविवि/2021 दिनांक 2 नवम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त स्वीकृति में वर्णित अनुसार उद्यान के रखरखाव हेतु आवश्यकतानुसार वांछित पदों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जावे तथा रखरखाव हेतु अनुमानित राशि 1.00 करोड रुपये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा आवंटित किये जाने हेतु निवेदन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: **Dream Sport foundation** एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के मध्य बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में दक्षिण से पश्चिम की ओर एक स्टेण्ड 20 वर्ष के लिये **Dream Sport foundation** को देने का प्रारूप एवं **M.O.U.** की स्वीकृति हेतु

क्र.सं	प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रमारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	<b>Dream Sport foundation</b> एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के मध्य बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में दक्षिण से पश्चिम की ओर एक स्टेण्ड 20 वर्ष के लिये <b>Dream Sport foundation</b> को देने का प्रारूप एवं <b>M.O.U.</b> की स्वीकृति हेतु ।

**Dream Sport foundation** एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के मध्य बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में दक्षिण से पश्चिम की ओर एक स्टेण्ड 20 वर्ष के लिये **Dream Sport foundation** को देने हेतु **MOU** जिसका प्रारूप निम्नानुसार है :-

### Memorandum of Understanding

This Memorandum of Understanding ("MoU") dated [REDACTED] ("Execution Date") is entered into between Dream Sports Foundation ("DSF") and Jodhpur Development Authority ("JDA"). DSF and JDA shall individually be referred to as a "Party" and collectively referred to as the "Parties".

#### WHEREAS:

DSF is the philanthropic arm of Sporta Technologies Private Limited and, among other things, aims to build and manage world-class sporting infrastructure in the country and create impactful, valuable and long-standing partnerships with the government and other organisations to realise the true potential of sport in the country;

JDA was established for the purposes of planning, co-ordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of the city of Jodhpur and for executing plans, projects and schemes for such development and to provide for matters connected therewith; and



JDA is the owner of the Barkatullah Khan Stadium, a stadium located at Pal Road, Masuria Colony, Baldev Nagar, Jodhpur, Rajasthan – 342003, India (“Stadium”), and DSF proposes to construct a VIP stand in the Stadium (“Stand”).

The Parties have agreed to enter into this MoU to set out the broad terms of understanding between the Parties with respect to the construction of the Stand.

A.	GENERAL TERMS	
1.	Parties	: 1. Dream Sports Foundation, a company incorporated under the Companies Act, 2013, having its registered office at Unit No. 7, Basement, Trade World, Kamala City, S.B. Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra – 400013, India, and its successors and permitted assigns; and 2. Jodhpur Development Authority, a body constituted under the Jodhpur Development Authority Act, 2009 and having its office at Jodhpur Development Authority, Opposite Railway Hospital, Railway Hospital Road, Ratanada, Jodhpur, Rajasthan – 342001, India.
2.	Construction Period	: The Parties will endeavour to complete the construction of the Stand within 6-9 months from the date of commencement of the construction of the Stand.
3.	DSF Responsibilities	: 1. DSF agrees and understands that the overall build of the stand shall be in line with the look and feel of the Stadium, and the Stand shall be built keeping in mind the city of Jodhpur’s traditional architecture. 2. DSF agrees and understands that it shall be solely responsible for the erection, maintenance, alteration, adjustment, modification and dismantling of the existing scaffolding at the Stand construction site. 3. DSF agrees to bear all costs and expenses relating to the construction of the Stand. 4. Post construction and handover, the responsibility of maintenance and operations of the stand to be done by JDA. 5. DSF shall appoint the architect for the design of the Stand, and the contractor(s) for the construction and completion of the Stand. 6. DSF will construct proposed stand in the alignment of existing building right from ground level to VIP boxes floor and stand above VIP boxes with covering in approximate size 100 x 13 meter in all respect upto furnishing. The sitting capacity of the stand above VIP boxes will be around 2000. 7. The overall design, colour combination and materials of the Stand shall be subject to the JDA approval, which approval shall not be unreasonably withheld. 8. DSF will submit the structural design of the stand after vetted from the professor of MBM engineering collage jodhpur or any other MNIT/IIT collage and will be beared 9. DSF shall have the right to monitor and supervise the construction of the Stand, and JDA shall not interfere with or direct the



			undertaking of the same.
			10. After commencement of work DSF have no right to withdraw the work
4.	Duties and Obligations of JDA	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>JDA agrees to provide and procure all necessary governmental approvals, licenses, permits, consents and authorisations for giving effect to the subject matter of this MoU and completing the construction of the Stand.</li> <li>JDA shall undertake the structural evaluation of the Stand design and provide its approval in a timely manner.</li> <li>JDA shall provide reasonable access to the Stadium and construction site to enable DSF to perform its obligations hereunder.</li> <li>JDA agrees to extend full cooperation and support to DSF in respect of the performance of DSF's obligations hereunder in a timely manner, in order to achieve the timelines for construction.</li> </ol>
5.	Budget	:	JDA understands that DSF will determine the budget for the Stand upon completion of the architectural design of the Stand.
6.	Quality Audit(s)/Inspection(s) of the Stand	:	DSF agrees that JDA's authorized representatives shall have the right to visit the Stand during reasonable hours to conduct quality audit(s)/inspection(s) of the Stand and its construction for the purpose of determining DSF's compliance with its obligations hereunder and under the applicable laws. DSF agrees to extend reasonable cooperation and support to JDA and its authorized representatives during quality audit(s)/inspection(s) of the Stand and its construction. JDA may undertake such inspection by itself or through competent third parties like Malaviya National Institute of Technology Jaipur (MNIT), Jaipur etc and the fee for third party inspection will be borne by DSF
7.	Naming Rights to the Stand	:	In consideration for completing the construction of the Stand, JDA agrees that DSF shall retain the naming rights to the Stand for a period of twenty (20) years from the completion of the construction of the Stand. JDA and DSF agree to enter into a definitive agreement capturing the grant of Naming Rights for the aforesaid period to DSF simultaneously with the Construction Agreement referred to below. Area of naming will be provided only in front of VIP boxes. No naming rights will be given till the completion of the project.
B.	<b>MISCELLANEOUS</b>		
1.	Confidentiality	:	The Parties agree to keep, and to cause their respective personnel, employees and representatives (collectively, "Representatives") to keep, the terms of this MoU and/or any other information shared among the parties in accordance with this MoU and/or any other agreement, MoU executed among the parties in accordance with the terms of this MoU, strictly confidential during the Term and thereafter and neither Party will, and each Party will cause its Representatives not to, disclose any information contained in this MoU to any third party without the prior written consent of the other Party. However, the Parties agree that either Party may announce the construction of the



		Stand being undertaken by DSF, provided that the content of such announcement is as mutually agreed by the Parties.
2.	<b>Force Majeure</b>	: Neither Party shall be liable for any failure or delay in performance of any of its obligations under this MoU to the extent the performance is prevented, hindered or delayed by any cause or circumstance that is beyond the reasonable control of such Party, rendering impossible, illegal or impractical the performance by that Party of its obligations under this MoU, such as sabotage, fire, flood, explosion, epidemic, pandemic, accident, acts of God, civil commotion, strikes or industrial action of any kind, riots, religious strife, insurrection, war, terrorism, acts, restrictions, regulations, bylaws, refusals to grant any licenses or permissions, revocations, prohibitions, orders or measures of any kind on the part of any governmental or judicial authority (" <b>Force Majeure Event</b> ") and in such case the affected Party's obligations shall be suspended for so long as the Party is prevented, hindered or delayed from performing its obligations by reason of the Force Majeure Event. A Party whose performance of its obligations is affected by a Force Majeure Event shall inform the other Party of the same as soon as practical. If the Force Majeure Event continues to delay or restrict the performance by a Party of its obligations hereunder for a continuous period of sixty (60) days, then the Parties shall discuss and mutually agree, in good faith, on reasonable remedial measures to limit the impact of the Force Majeure Event and/or the termination of this MoU in case effective remedial measures are not available.
3.	<b>Governing Law &amp; Dispute Resolution</b>	: This MoU will be governed by and construed in accordance with the applicable laws in the Republic of India. All disputes in relation to this MoU shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts at Jodhpur Rajasthan. If any party exit from MOU within the construction period then expenditure till date will be beared by that party within 60 days. Subletting of naming rights or renting out will not be permitted. Any party can breach the contract by giving one month notice with unavoidable reason.
4.	<b>Broad Understanding</b>	: This MoU represents the broad understanding of the Parties in relation to the design and construction of the Stand. Upon completion and finalisation of the design of the Stand and the approval of the overall build of the Stand by JDA, the Parties agree to enter into a definitive Construction Agreement to set out the covenants and obligations of each Party to the other in relation to the construction of the Stand (" <b>Construction Agreement</b> "). The commencement of the construction of the Stand shall be subject to the execution of this definitive Construction Agreement, which agreement shall have terms and conditions as mutually agreed between the Parties.

**IN WITNESS WHEREOF**, the Parties hereto have executed this MoU on the Execution Date.

अतः M.O.U. का प्रारूप अनुमोदन तथा M/s Dream Sport foundation के साथ M.O.U. सम्पादित करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत है।



## निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण राज्य सरकार को समुचित निर्णय हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा/2020/भाग-9 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या ...../एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत्त या उसके किसी भाग के गलत तथा/ या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का क्रियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक क्रियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, क्रियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी। कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा)

  
8/11/21  
(हरभान मीणा)  
सचिव


क्रमांक/बैठक/2020/भाग(9)/७७५-७९०

दिनांक :: ०८ नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- महापौर (उत्तर/दक्षिण) महोदय, नगर निगम, जोधपुर
- 3- जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
- 4- जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
- 5- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डेवलपमेन्ट काउंसिल (आरएजेआरईडीसीको), 307, पिक टॉवर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
- 6- संयुक्त शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 7- आयुक्त, नगर निगम-उत्तर/दक्षिण, जोधपुर
- 8- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर

- 9- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
- 10- प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
- 11- उप आवासन आयुक्त-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
- 12- वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
- 13- निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 14- निदेशक- अभियांत्रिकी/ आयोजना/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 15- उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 16- अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 17- एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
- 18- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 19- .....

  
8/11/21  
(हरभान मीणा)  
सचिव

## परिशिष्ट-1

श्री (डॉ.) राजेश शर्मा, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय स्थित उनके कक्ष में दिनांक 2 अक्टूबर, 2021 को सांय 4.30 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती कुंती परिहार देवडा, महापौर (उत्तर), नगर निगम, जोधपुर
2. श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री अरुण कुमार पुरोहित, आयुक्त, नगर निगम-दक्षिण, जोधपुर
4. श्री राजेन्द्रसिंह कविया, आयुक्त, नगर निगम-उत्तर, जोधपुर
5. श्री डा. बजरंग सिंह, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम-उत्तर, जोधपुर
6. श्री मुकेश भाटी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. श्री सत्यवीर यादव, अतिरिक्त कलक्टर-शहर (द्वितीय), जोधपुर
8. श्री शरद कुमार माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
9. श्री जगदीश व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, नगर वृत्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
10. श्री रूदन सिंह मीणा, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
11. श्री आर.एस. भाटी, उप आवासन आयुक्त-द्वितीय, राजस्थान आवास मण्डल, जोधपुर
12. श्री प्रकाश बाफना, अधिशाषी अभियन्ता- डिवि.वव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
13. श्री ओ.पी. सुथार, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
14. श्री लाडूराम विश्णोई, निदेशक-अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री मंगलाराम विश्णोई, निदेशक-वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री राजेश वर्मा, निदेशक-आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री हरभान मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक :-

दिनांक :-

## :: आयोजना शाखा की ओर से प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखने हेतु एजेण्डा ::

**विषय :-** नगर निगम उत्तर क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव हेतु जारी करने बाबत।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशांषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	नगर निगम उत्तर क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव हेतु जारी करने बाबत।

गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य सिविल रिट पीटीशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु नगर निगम उत्तर के जोनल प्लान बनाये जाने का कार्यदेश दिनांक 23.07.2021 को मैसर्स एको वेन्चर्स प्रा. लिमिटेड को जारी किया गया था। इस क्रम में मैसर्स एको वेन्चर्स प्रा. लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में चरण-5 (Preparation of Draft Zonal Plan) तक का कार्य नगर निगम उत्तर में प्रस्तुत किया गया है। नगर निगम उत्तर द्वारा दिनांक 22.10.2021 को प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान के 09 मानचित्र प्राधिकरण की स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत मानचित्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

01. Map Showing urban area and all zones
02. Map showing Nagar Nigam North area on proposed landuse plan of LUP-2031
03. Basemap showing various physical features and property level details.
04. Map showing existing landuse, superimposition of revenue maps, revenue roads, commitments, govt land and other details.
- 04.1. Map showing existing landuse
05. Map showing existing social infrastructure facilities
06. Map showing all physical infrastructure facilities
07. Map showing the superimpisition of master plan and existing landuse
08. Map showing proposal on basis of variation and deviation

मानचित्र संख्या 09 में 35 स्थानों पर सड़को की वर्तमान चौड़ाई व मास्टर प्लान में उल्लेखित सड़क की चौड़ाई अंकित कर विचलन दर्शाया गया है। इस बाबत कोई प्रस्ताव नगर निगम की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भू-उपयोग में विचलन क्रमांक 32 से 59 तक में द्वारा यह दर्शाया गया है कि मास्टर प्लान में अंकित आवासीय भू-उपयोग में सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाएँ, पार्क विकसित हो चुके हैं। यह विचलन सामान्य श्रेणी का है जिस से जोनल प्लान स्तर पर अंकित किया जाना उचित है। उपरोक्त विचलन मुख्य नगर नियोजक के पत्र दिनांक 29.10.2021. अनुसार मास्टर प्लान में मोडीफिकेशन की श्रेणी के नहीं हैं।

मास्टर प्लान की सड़को के विचलन के बिन्दु पर दिनांक 28.10.2021 को श्रीमान मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, आयुक्त जो.वि.प्रा., आयुक्त नगर निगम उत्तर, निदेशक आयोजना जो.वि.प्रा., अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम उत्तर, वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन, वरिष्ठ नगर नियोजक नगर निगम उत्तर, उप नगर नियोजक जो.वि.प्रा. द्वारा सड़को के विचलन बाबत विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

S. No.	Name of Road	Deviation No.	Detail of Road	Master Plan Road Width	Existing Road Width	Road length	Deviation and Variation	Remarks		
A	NH-62 (Paota Circle to Surpura Bypass)	30	Paota Circle to Krishi Mandi Chauraha	48M	36M	2.2KM	Master Plan road width and existing road width is not same	Road to be reduced by 36 meter as per existing settlements and commitments.		
		7	Krishi Mandi Chauraha to Kishore Bagh Bus Stand	48M	33M	1.66KM	Master Plan road width and existing road width is not same	Road to be reduced by 36 meter as per existing settlements and commitments.		
		5	Kishore Bagh Bus Stand to Dargah	48M	33M	1.7KM	Master Plan road width and existing road width is not same	Road to be reduced by 36 meter as per existing settlements and commitments.		
		4	Dargah to Maharishi Dayanand Gausshala	48M	20M	0.6KM	Master Plan road width and existing road width is not same	Road to be reduced by 36 meter as per existing settlements and commitments.		
		31	Maharishi Dayanand Gausshala to Mandore Overbridge	48M	33M	0.09KM	Master Plan road width and existing road width is not same	Road to be reduced by 36 meter as per existing settlements and commitments.		
		3	Mandore Overbridge to Mandore Police Station	48M	33M	3.31KM	Master Plan road width is not same	Width of road to be retain as per master plan width		
		2	Mandore Police Station to Surpura Bypass	48M	36M	0.45KM	Master Plan road width and existing road width is not same	Width of road to be retain as per master plan width		
		B	Surpura Bypass (Nagore Road to Mata Ka Than)	1	Surpura Bypass	60M	39M	1.5KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road be kept as per master plan width due to commitment of Sunder Singh Bhandari Scheme, Mega Awas Yojnaetc.
				14	Surpura Dam Road	60M	36M	1.69KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road be kept as per master plan width due to commitment of Sunder Singh Bhandari Scheme, Mega Awas Yojnaetc.
				15	Surpura Dam to Mega Awas Yojna JDA	60M	24M	2.46KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road be kept as per master plan width due to commitment of Sunder Singh Bhandari Scheme, Mega Awas Yojnaetc.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



E	Gokul Ji Ki Pyau to Bhati Choraha to Ramsagar Traha	27	Adhivakta Cobny to Gautam Farm	36M	18M	1KM	Master Plan road width and existing road width is not same	commitments and other technical parameters. This road to be kept as Special Area and width to be decided later by municipal corporation after detail assessment about traffic impact, commitments and other technical parameters.
		26	Gautam Farm to Shankar Acharya Temple	36M	18M	1.4KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road to be kept as Special Area and width to be decided later by municipal corporation after detail assessment about traffic impact, commitments and other technical parameters.
		25	Shankar Acharya Temple to Ram Talai Road	36M	18M	0.27KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road to be kept as Special Area and width to be decided later by municipal corporation after detail assessment about traffic impact, commitments and other technical parameters.
		24	Ram Talai Road to Gokul Ji Ki Pyau	36M	24M	0.34KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road to be kept as Special Area and width to be decided later by municipal corporation after detail assessment about traffic impact, commitments and other technical parameters.
		21	Gokul Ji Ki Pyau to Bhati Chauraha	30M	26M	0.48KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road to be kept as per master plan due to commitments.
		20	Bhati Chauraha to SBI Bank Building	30M	10M	0.82KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road to be kept as per master plan due to commitments.
		19	SBI Bank Bulking to Ram Sagar Traha	30M	24M	0.55KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road to be kept as per master plan due to commitments.

F	Nagauri Gate to Maha Mandir Circle	22	Nagauri Gate to Maha Mandir Circle	30M	18M	0.57KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road to be kept as Special Area and width to be decided later by municipal corporation after detail assessment about traffic impact, commitments and other technical parameters.
G	Nagauri Gate to Jyotiba Phule Park	23	Nagauri Gate to Jyotiba Phule Park	30M	18M	0.78KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road to be kept as Special Area and width to be decided later by municipal corporation after detail assessment about traffic impact, commitments and other technical parameters.
H	NH-62 to Balsamand Garden to Royalti Naka	6	NH-62 to Balsamand Garden to Royalti Naka	24M	20M	1.65KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road to be kept as per master plan due to planning Heirarchy of road width.
I	Sursagar Bypass Road	29	Sursagar Tiraha to Ridiya Chauraha	60M	28M	1.77KM	Master Plan road width and existing road width is not same	This road to be kept as per master plan due to important bypass road of city.
J	Sanghi School To Soorsagar Chopad	17	Sanghi School to Royalti Naka	30M	20M	1.4KM	Master Plan road width and existing road width is not same	Road to be retained as per Master Plan due to important link road between Jaisalmer road to Mandore.
			Royalti Naka to Panchkunda Tiraha	24M	18M	0.7KM	Master Plan road width and existing road width is not same	Road to be retained as per Master Plan due to important link road between Jaisalmer road to Mandore.
			Panchkunda Tiraha to Chopad (Mining Area Road)	30M	10M	3.5KM	Master Plan road width and existing road width is not same	Road to be retained as per Master Plan due to important link road between Jaisalmer road to Mandore.

K	80 Feet Road	33	24M (Road Not Present in Master Plan)	8M			Road should not be shown in ZDP due to lack of Municipal proposal.
		34	24M (Road Not Present in Master Plan)	10M			Road should not be shown in ZDP due to lack of Municipal proposal.
		35	24M (Road Not Present in Master Plan)	20M			Road should not be shown in ZDP due to lack of Municipal proposal.

उपरोक्तानुसार विचलनों पर लिये गये निर्णयों में समायोजित करते हुए प्रारूप जोनल प्लान को प्राधिकरण की बैठक में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दृष्टिगत एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में जोनल डवलपमेंट प्लान लागू किया जाना अति आवश्यक है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत भी नगर निगम उत्तर जोन के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को आमजन से 20 दिवस में आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचित कराया जाना है। इस काम में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2021 के प्रस्ताव संख्या 21 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण बैठक में रखा जाना है, साथ ही जो.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अनुमोदन करने हेतु अधिसूचना जारी की जानी है जिसके क्रम में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(निदेशक (आयोजना))  
 जोधपुर विकास प्राधिकरण  
 जोधपुर

→



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656357 Fax 0291-2612086

क्रमांक :-

दिनांक :-

## :: आयोजना शाखा की ओर से प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखने हेतु एजेण्डा ::

**विषय :-** नगर निगम दक्षिण क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति-सुझाव हेतु जारी करने बाबत।

प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रमारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	नगर निगम दक्षिण क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव हेतु जारी करने बाबत।

गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य सिविल रीट पीटीशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु नगर निगम दक्षिण के जोनल प्लान बनाये जाने का कार्यादेश दिनांक 23.07.2021 को मैसर्स याशी कंसलटिंग सर्विसेज प्रा0 लि0 को जारी किया गया था। इस क्रम में मैसर्स याशी कंसलटिंग सर्विसेज प्रा0 लि0 द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में चरण-5 (Preparation of Draft Zonal Plan) तक का कार्य नगर निगम दक्षिण में प्रस्तुत किया गया है। नगर निगम दक्षिण द्वारा दिनांक 24.10.2021 को प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान के 09 मानचित्र प्राधिकरण की स्वीकृति बाबत प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत मानचित्रों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

01. Map Showing Urban area and all zones
02. Map showing Proposed land use plan-of Master Plan,with Nagar Nigam South Zone Boundary
03. Map showing Basemap of Nagar Nigam South Zone Jodhpur
04. Map showing Existing Land use of Nagar Nigam South Zone Jodhpur
05. Map showing Existing landuse and superimposition of revenue maps, revenue roads, commitments and other details.
06. Map showing all physical infrastructure facilities for South Zone part of Jodhpur
07. Map showing all social infrastructure facilities for South Zone part of Jodhpur
08. Map showing superimpstion of existing land use plan on 2031 of Nagar Nigam South Zone
09. Map showing proposal on the basis of deviation and variation

मानचित्र संख्या 09 में 28 स्थानों पर सडको का विचलन दर्शाया गया है। दिनांक 29.10.2021 को नगर निगम दक्षिण द्वारा प्रेषित पत्र में जोविप्रा की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2021 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में जोनल डवलपमेंट प्लान के अंतर्गत प्रमुख सडकों के मार्गाधिकार निर्धारण बाबत पत्र प्रस्तुत किया है। इस पत्र में नगर निगम की कार्य समिति की बैठक दिनांक 06.07.2021 में लिए गए निर्णयों के आधार पर सडक संख्या R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, R12, R13, R18, R20, R23, R25, R26 के संबंध में मार्गाधिकार निर्णय की प्रस्तावना प्रस्तुत की गई है एवं शेष सडकों बाबत प्रस्ताव प्रेषित किये गये है जिनमें सडकों का मार्गाधिकार जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना अनुसार/मास्टर प्लान अनुसार अथवा जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व कमिटेमेंट्स के आधार पर निर्धारित किये जाने का उल्लेख किया है। प्राधिकरण स्तर पर आयुक्त जोविप्रा, निदेशक आयोजना जो.वि.प्रा., निदेशक अभियांत्रिकी जो.वि.प्रा., अधिशाषी अभियन्ता जो.वि.प्रा., वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन, उप नगर नियोजक नगर निगम दक्षिण, उप नगर नियोजक जो.वि.प्रा. द्वारा सडकों के विचलन बाबत विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

W

**Deviations/Variations in Roads**

S No.	Detail of road	Master Plan Road Width	Existing Road Width	Deviation or Variation	Decision taken at Municipal Corp. Level	Decision Taken at JODA Level
R1	5th road to sojati gate via Jalori gate	60M	27M-34 M	Master Plan road width connecting Sojati gate via jalori gate meeting 5th road is deviating from Nagar Nigam proposed width	Reduce as per Nagar Nigam proposed width 30M	30-36 M as per Municipal Schemes/Commitments
R2	Khas baag to Mohanpura Pulia	36M	26M-30M	Master plan road width Connecting Khas Baag to Mohanpura Pulia is deviating from Nagar Nigam proposed width	Retained as per master plan 30M	-
R3	Bhati Circle to circuit house	48M	35M-45M	Master Plan road width connecting Circuit House to Bhati Circle is deviating with Nagar Nigam proposed width	Reduce as per Executive Committee meeting 36M	48 M
R4	Bhati Circle to Ratanada Circle	48M	30M-33M	Master Plan road width connecting Bhati Circle to Ratanada Circle is deviating from Nagar Nigam proposed width.	Reduce as per Executive Committee meeting 36M	48 M
R5	Near Ratanada Circle	30M	29M-31M	Master plan road is not alligned with existing road	Retained As per Master Plan	-
R6	Near Saraswati Nagar	24M	23M-25M	Road Connecting MAIN MADHUBAN Via Madhuban Sabji Mandi and HIGH MASK ROAD is not alligned with master plan road.	Align as per Site Conditions	-
R7	Medical College to Dalle Khan Ki Chakki	24M	45M-47M	Master plan road Connecting Medical College to Dalle Khan Ki Chakki is deviating with Nagar Nigam proposed width.	Increase as per Nagar Nigam decision 45M	-



R8	5th Road Circle to Bombay Motor Circle	48M	35M-36M	Maste Plan Road width Connecting 5th Road Circle to Bombay Motor Circle is deviating with Nagar Nigam Proposed width.	Reduce as per Executive Committee decision 36M	-
R9	Bombay Motor Circle to Pratham Puliya	48M	44M-45M	Master plan road Connecting Bombay Motor Circle to Pratham Puliya with Nagar Nigam proposed width.	Reduce as per Executive Committee decision 48M	-
R10	Jwala vihar ahead to tiraha	48M	43-45M	Master Plan road width ahead of Jwala Vihar is Not matching with Master plan Report.	As Per master plan report 60M	-
R11	Barahavi Road Chauraha via 6 dukkan and meeting at Kheme ka kua	48M	43M-48M	Master Plan Road Connecting Barahavi Road Chauraha via 6 dukkan and meeting at Kheme ka kua is deviating with Nagar Nigam proposed width.	Reduce as per Executive Committee meeting 45M	Retained as per Master Plan road width 48M
R12	5 batti Circle to Officers Mess	Road not drawn	33M-38M	Road Connecting 5 batti Circle to Officers Mess is not Mentioned in Master Plan.	Reduce as per Nagar nigam yojananusar 30M	36M
R13	5 batti Circle to Ratanada	Road not drawn	43M-48M	Road Connecting 5 batti Circle to Ratanada not Mentioned in Master Plan.	Reduce as per Nagar nigam yojananusar 45M	48M
R14	Circuit House TO KN COLLEGE	48M	29M-33M	Mašte plan road width connecting Circuit House TO KN College is deviating with Nagar Nigam proposed width.	Reduce as per Nagar Nigam proposed width 30M	30-36M
R15	Riktiya Behruji Chauraha to Samvit circle	60M	29M-32M	Master Plan road width connecting Riktiya Behruji Chauraha to Samvit circle is deviating with Nagar Nigam Proposed width.	Reduce as per Executive Committee meeting 30M	48M

W

er

R16	Samvit Circle to Ratanada circle	60M	44M-49M	Master Plan road width connecting Samvit Circle to Ratanada circle is not available on site.	As per ROW available on site 48M	48M
R17	Samvit Circle to Panch Batti	Road not drawn	30M-31M	Road from samvit circle to Panch Batti is not drawn in master plan	Retain as per executive committee decision 30M	-
R18	Shastri nagar Thana to Ghadi Chauraha	30M	22M-25M	Master plan road width connecting Shastri Nagar Thana to Ghadi Chouraha is deviating from Nagar Nigam proposed width.	Reduce as per Executive Committee decision 30M	-
R19	Bombay Motors to Riktiya Behruji chauraha	48M	44M-46M	Master plan road width connecting Bombay Motors to Riktiya Behruji Chouraha is deviating from Nagar Nigam Proposed width.	Reduce as per Executive Committee decision 45M	-
R20	RHB Road	24M	33M-38M	Master Plan road Width of RHB road connecting to E1 zone is deviating.	Increase to 30M matching with E1 zone	-
R21	KN College to Paota Chouraha	60M	23M-25M	Master Plan road width connecting KN college to Paota chouraha is not available on site.	As per ROW available on site 30M	30-36M
R22	Sojati gate to Paota Chouraha	60M	25M-45M	Master Plan road width connecting Sojati Gate to Paota chouraha is not available on site.	As per ROW available on site 36M	-
R23	JDA Circle to Bhasker chauraha	30M	24M-26M	Master Plan road width connecting JDA circle to Bhaskar Chouraha is deviating from Nagar Nigam proposed width.	Reduce as per Nagar Nigam proposed width 30M	-
R24	Ghadi Chouraha to Kheda Pati	30M	27M-31M	Master plan road width connecting ghadi chouraha to Jasoil Petrol Pump is deviating from Nagar Nigam proposed width	Reduce as per Nagar Nigam yojanannusar to 24M	-

R2

2

R25	Shastri Circle to ITI circle	30M	29M-32M	Master Plan road width connecting Shastri Circle to ITI circle is deviating from Nagar Nigam proposed width	Reduce as per Nagar Nigam Executive Committee to 30M	-
R26	Central Academy to Bijli Ghar	48M	24M-28M	Master Plan road width connecting from Central Academy to Bijli Ghar is deviating from Nagar Nigam proposed width	Reduce as per Nagar Nigam yojananusar to 30M	-
R27	In front of Kamla Nagar Hospital	30M	25M-31M	Master Plan road width in front of Kamla Nagar Hospital is deviating from Nagar Nigam proposed width.	Reduce as per Nagar Nigam yojananusar to 30M	-
R28	In front of Maulana School	30M	18M-21M	Master plan road width in front of Maulana School is deviating from Nagar Nigam proposed width.	Reduce as per Nagar Nigam yojananusar to 24M	30M

er

W

नगर निगम द्वारा भू-उपयोग में दो स्थानों पर विचलन दर्शाया गया है। इस स्तर पर भू-उपयोग में परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा राजस्व मानचित्रों के आधार पर जलाशयों की स्थिति दर्शाकर विचलन बताया गया है। यह विचलन सामान्य श्रेणी का है जिसे जोनल प्लान स्तर पर अंकित किया जाना उचित है। उपरोक्त विचलन मुख्य नगर नियोजक के पत्र दिनांक 29.10.2021 अनुसार मास्टर प्लान में मोडीफिकेशन की श्रेणी में नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार विचलनों पर लिये गये निर्णयों में समायोजित करते हुए प्रारूप जोनल प्लान को प्राधिकरण की बैठक में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखा जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसरण में प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दृष्टिगत एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जोनल डवलपमेंट प्लान लागू किया जाना अति आवश्यक है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत भी नगर निगम उत्तर जोन के प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को आमजन से 20 दिवस में आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचित कराया जाना है। इस क्रम में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.10.2021 के प्रस्ताव संख्या 21 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण बैठक में रखा जाना है, साथ ही जो.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान को अनुमोदन करने हेतु अधिसूचना जारी की जानी है जिसके क्रम में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

  
(निदेशक आयोजना)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर

